

आवेदन पत्र (वर्ष 2018-19)

(कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु)

“स्कीम का नाम: नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम “प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रोप रैजीड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एण्ड एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली”

1. (निम्नलिखित A, B अथवा C में से उपयुक्त भाग को भरें)

A. (किसान समूह /समिति / संगठन के लिए)

A-1. किसान समूह /समिति / संगठन का नाम :

श्रेणी (कृप्या ✓ निशान लगाएं) :

(क) सहकारी समितियां पर्जीकृत किसान समूह स्वयं सहायता समूह किसान उत्पादन संगठन (FPOs) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS)(ख) विशेष श्रेणी महिला समूह अनुसूचित जाति लघु एवं सीमान्त

A-2. किसान समूह /समिति / संगठन का पता:

A-3. पंजीकरण नं० पंजीकरण वर्ष.....

पंजीकरण स्थान.....

A-4. पैन कार्ड नं०

A-5. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व मोबाईल नं०

A-6. किसान समूह /समिति / संगठन के बैंक खाते का ब्यौरा

क. खाता संख्या

ख. बैंक का नाम

ग. शाखा का नाम.....

घ. आई.एफ.एस.सी. कोड.....

B. (प्रगतिशील किसान के लिए)

B-1. प्रगतिशील किसान का नाम:.....

B-2. लिंग: (पुरुष/स्त्री):.....

B-3. जन्म तिथि:.....

B-4. पिता/पति का नाम:.....

B-5. श्रेणी (कृप्या ✓ निशान लगाएं) :

 सामान्य महिला अनुसूचित जाति लघु एवं सीमान्त किसान

B-6. पता: गाँव..... ब्लॉक.....

जिला.....

B-7. मोबाईल नं०.....

B-8. आधार कार्ड नं०.....

B-9. पैन कार्ड नं०.....

B-10. बैंक खाता का विवरण:

(i) बैंक का नाम:.....

(ii) शाखा का नाम

(iii) खाता नम्बर.....

(iv) आई.एफ.एस.सी.कोड.....

C. (प्राइवेट उद्यमी के लिए)

- C-1. प्राइवेट उद्यमी का नाम:
- C-2. कंपनी स्थापना वर्ष:
- C-3. कंपनी का वर्तमान कार्य
-
- C-4. GSTN/PAN
- C-5. कंपनी का कार्यालय पता एवं फोन नं.
-
- C-6. कंपनी के निदेशक / मालिक / पार्टनर का नाम, पता एवं फोन नं.
.....
.....
- C-7. कंपनी के संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन/मोबाइल नं. एवं पता.....
.....
- C-8. ई-मेल
- C-10. कंपनी का पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण प्राधिकारी

2. कस्टम हायरिंग सेंटर की श्रेणी (जिसके लिए आवेदन किया जाना है)

(कृपया \sqrt निशान लगाएं) : (न्यूनतम 10 लाख रुपये एवं अधिकतम 75 लाख रुपये)

(क) 10 लाख रुपये 10 लाख से 25 लाख रुपये तक

(ख) 25 लाख से 75 लाख रुपये तक (बैंक से लोन अनिवार्य है)

प्रस्तावित बैंक का नाम एवं पता _____

1. क्या कस्टम हायरिंग सेंटर नया स्थापित किया जाना प्रस्तावित है या पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है ? निम्नलिखित में से किसी एक पर \sqrt निशान लगाएं :

(क) नया स्थापित किया जाना है

(ख) पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार किया जाना है

9. (क) यदि नया कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाना है तो प्रस्तावित कृषि यंत्रों एवं उनकी लागत का विवरण दें:

अ. फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र – घटक					
क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या	अनुमोदित सूचिबद्ध कंपनी का नाम	अनुमोदित अधिकतम राशि (रुपये)	अनुदान राशि (रुपये)
1	सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस एम एस)				कुल लागत का 80 प्रतिशत
2	हैप्पी सीडर				
3	पैडी स्ट्रा चोपर / ग्रेडर / मल्चर				
4	शर्ब मास्टर / कटर-कम-स्प्रेडर				
5	रिवर्सिबल एम बी प्लो				
6	रोटरी स्लेशर				
7	जीरो टिल ड्रिल मशीन				
8	रोटावेटर				
अ.	कुल				
ब. अन्य यंत्र – समैम (SMAM)					
क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या	कृषि यंत्र निर्माता / कंपनी का नाम**	कृषि यंत्र का मूल्य (रुपये)	कुल अनुदान राशि
1					कुल लागत का 40 प्रतिशत
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	ट्रैक्टर (अधिकतम 2*)				
ब.	कुल				
कुल परियोजना लागत (अ + ब)					

* 1 ट्रैक्टर कुल परियोजना का लागत 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक होने पर और 2 ट्रैक्टर कुल परियोजना का लागत 25 लाख रुपये से अधिक होने पर स्वीकृत होगा।

** पोर्टल www.agrimachinery.nic.in पर रजिस्टर्ड कृषि यंत्र निर्माता/कंपनी जिनकी मशीन भारत सरकार के प्राधिकृत किसी भी परिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित हों।

9. (ख) यदि पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है, तो निम्नलिखित विवरण दें:

(i) पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का विवरण:

(अ) स्थापना वर्ष :

(ब) कुल परियोजना का लागत :

(स) कुल प्राप्त अनुदान राशि :

(द) मौजूदा कृषि यंत्रों के नाम व संख्या:

क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या
अ.	फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र	
1		
2		
3		
4		
ब.	अन्य यंत्र	
1		
2		
3		
4		
ग.	ट्रैक्टर	
घ.	कंबाईन हारवेस्टर	

(ई) मौजूदा ट्रैक्टर का विवरण:

(i) रजिस्ट्रेशन नं0:..... (ii) मॉडल:.....

(iii) रजिस्ट्रेशन वैधता वर्ष..... (iv) हार्स पॉवर.....

मौजूदा कंबाईन हारवेस्टर का विवरण:

(i) रजिस्ट्रेशन नं0:..... (ii) मॉडल:.....

(iii) रजिस्ट्रेशन वैधता वर्ष..... (iv) हार्स पॉवर.....

(ii) पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर के विस्तार हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कृषि यंत्रों एवं उनकी लागत का विवरण: (परियोजना रिपोर्ट)

अ. फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र – घटक					
क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या	अनुमोदित सूचिबद्ध कंपनी का नाम	अनुमोदित अधिकतम राशि (रुपये)	अनुदान राशि (रुपये)
1	सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस एम एस)				कुल लागत का 80 प्रतिशत
2	हैप्पी सीडर				
3	पैडी स्ट्रा चोपर / शेडर / मल्वर				
4	शर्ब मास्टर / कटर-कम-स्प्रेडर				
5	रिवर्सिबल एम बी प्लो				
6	रोटरी स्लेशर				
7	जीरो टिल ड्रिल मशीन				
8	रोटावेटर				
अ.	कुल				
ब. अन्य यंत्र – समैम (SMAM)					
क्रम संख्या	कृषि यंत्र का नाम	कृषि यंत्र की संख्या	कृषि यंत्र निर्माता / कंपनी का नाम**	कृषि यंत्र का मूल्य (रुपये)	कुल अनुदान राशि
1					कुल लागत का 40 प्रतिशत
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	ट्रैक्टर (अधिकतम 2*)				
ब.	कुल				
कुल परियोजना लागत (अ + ब)					

* 1 ट्रैक्टर कुल परियोजना का लागत 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक होने पर और 2 ट्रैक्टर कुल परियोजना का लागत 25 लाख रुपये से अधिक होने पर स्वीकृत होगा।

** पोर्टल www.agrimachinery.nic.in पर रजिस्टर्ड कृषि यंत्र निर्माता/कंपनी जिनकी मशीन भारत सरकार के प्राधिकृत किसी भी परिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित हों।

12. प्रस्तावित कृषि यंत्र बैंक / कस्टम हाईरिंग सेंटर का पता:

गाँव _____डाकखाना _____

खण्ड _____जिला _____

घोषणा

मैं/हम सत्यापित करता/करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे/हमारे अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान व दिशानिर्देशों की पालना करूंगा / करेंगे।

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. सहकारी समिति पंजीकरण की प्रतिलिपि
2. प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रति
3. पैन कार्ड की प्रति
4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
5. प्रस्तावित कस्टम हाईरिंग सेंटर के स्थान से सम्बन्धित दस्तावेज
6. पहले से उपलब्ध ट्रैक्टर / कंबाईन हारवेस्टर के पंजीकरण की फोटोप्रति
7. यदि पूर्व में स्थापित कस्टम हाईरिंग सेंटर का विस्तार किया जाना है (7-ख) तो विभाग द्वारा जारी किये गए स्वीकृति पत्र तथा अदा की गई अनुदान राशि (बैंक स्टेटमेंट) की फोटोप्रति।

नोट:- किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने एवं चयन प्रक्रिया के बारे में जिला स्तर कार्यकारी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

सहमति पत्र

मैं / हम यह घोषण करता हूं / करते हैं:

1. हमें मालूम है कि कार्यआदेशों की प्रति प्राप्त होने के 3 महीने के अन्दर-अन्दर कृषि यंत्र बैंक / कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाना है अतः संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के पश्चात ही समयबद्ध तरीके से अनुदान राशि बैंक के माध्यम से जारी की जाएगी।
2. हम जानते हैं कि कृषि यंत्र बैंक / कस्टम हायरिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए भूमि / स्थान उपलब्ध करवाने का हरियाणा सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा और भूमि का प्रबंध हमारा दायित्व होगा।
3. हम पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे और पूछे जाने पर कार्य की प्रगति के बारे में सभी सूचना समय-समय पर उपलब्ध करवाएंगे। यदि सरकारी अधिकारी फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित रिकोर्ड के बारे में जानना चाहे तो उसे तुरंत उपलब्ध करवाएंगे।
4. हम सरकार द्वारा निर्धारित की गई किराया दर को मानने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रदेश के किसानों को उक्त दरो पर ही कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएंगे।
5. हम किसानों की जानकारी हेतु कृषि यंत्र बैंक / कस्टम हायरिंग सेंटर से संबंधित सभी सूचनाएं सूचनापट लगाएंगे तथा किसानों के लाभ के लिए हम उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे।
6. हम पूर्ण रूप से जानते हैं और सहमत हैं कि हम शपथ-पत्र के सभी दिशानिर्देश एवं शर्तें मानने के लिए बाध्य होंगे और इनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर केन्द्र का संचालन रद्द कर दिया जाएगा तथा अनुदान राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

दिनांक:

स्थान:

उप कृषि निदेशक के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

सहायक कृषि अभियंता के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

आवेदन पत्र पावती

श्री / श्रीमति पुत्र/पत्नि श्री

..... निवासी

से आवेदन पत्र संख्या दिनांक.....

को प्राप्त हुआ ।

स्थान:

उप कृषि निदेशक / सहायक कृषि अभियन्ता के हस्ताक्षर

दिनांक: